भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2835
25 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत लंबित मामले और भुगतान

2835. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम उपलब्ध तिथि के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत भुगतान के लिए लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के तहत भुगतान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि लंबित है;

(ग) दावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा लंबित भुगतानों के निपटान में त्वरितता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): दावों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, दावों का निपटारा संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) द्वारा किया जाता है। एनएचए ने इंट्रा-स्टेट अस्पतालों (राज्य के भीतर स्थित अस्पताल) के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और पोर्टेबिलिटी दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पताल) के मामले में 30 दिनों के भीतर अस्पतालों को दावे का भुगतान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। दावों को योजना के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निपटाने की आवश्यकता होती है। साल-दर-साल दावा निपटान के लिए कुल औसत टर्नअराउंड समय (टीएटी) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। दावों के संबंध में प्रगति का जायजा लेने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, कुशल दावा निपटान के लिए क्षमता निर्माण के कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।
